

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 11.08.2026

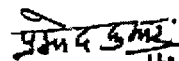
::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 8/2025 में जारी आदेशों की अनुपालना में दर्ज मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के विशेष न्यायालय, तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (पर्यावरण प्रकरण), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर	जोधपुर महानगर	जोधपुर

नोट-उपरोक्त न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से.


प्रमुख शासन सचिव 11.8.26

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/12/2026/1411

Date: 11/08/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
(Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Jodhpur Metropolitan.
(with a request to circulate the same amongst all the concerned courts)
3. Chief Judicial Magistrate, Jodhpur Metropolitan.
4. Special Court (Environmental Cases), Sr. CJ & ACJM, Jodhpur Metro.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt-I & II/ Statistics / Budget/Building / Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur.


11/8/26
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 11.08.2026

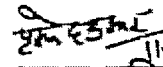
::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 8/2025 में जारी आदेशों की अनुपालना में दर्ज मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के विशेष न्यायालय, तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (पर्यावरण प्रकरण), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली	पाली	पाली

नोट-उपरोक्त न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से.


प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/12/2026/1412

Date: 11/08/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
(Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Pali.
(with a request to circulate the same amongst all the concerned courts)
3. Chief Judicial Magistrate, Pali.
4. Special Court (Environmental Cases), Sr. CJ & ACJM, Pali.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt-I & II/ Statistics / Budget/Building / Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur.


11/8/26
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 11.08.2026

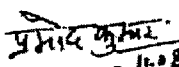
::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 8/2025 में जारी आदेशों की अनुपालना में दर्ज मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के विशेष न्यायालय, तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (पर्यावरण प्रकरण), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा	बालोतरा	बालोतरा

नोट-उपरोक्त न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से.


प्रमुख शासन सचिव
11.08.26

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/12/2026/1413

Date: 11/08/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
(Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Balotra.
(with a request to circulate the same amongst all the concerned courts)
3. Chief Judicial Magistrate, Balotra.
4. Special Court (Environmental Cases), Sr. CJ & ACJM, Balotra.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt-I & II/ Statistics /
Budget/Building / Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur.


11/8/26
REGISTRAR (RULES)